न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

श्री प्रकाश चपलोत जैन 196 सदर बाजार सुवाणा, जिला भीलवाडा।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटडी, जिला भीलवाडा।

प्रकरण संख्या :– 09/2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.02.2026	–: निर्णय :– 1. पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपील में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटडी से चाही गई थी, परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील ऑनलाईन कमांक 249042138602579 प्रस्तुत कर, प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज कर उभयपक्षकारान की तलबी हेतू नोटिस जारी किये गये। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटडी से प्राप्त सूचना अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र कमांक 100 दिनांक 11.02.2026 से अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना तहसीलदार कोटडी के पत्र कमांक 202–203 दिनांक 09.02.2026 से जरिये डाक द्वारा प्रेषित कर दी गई है। जिसकी प्रतिलिपि उक्त अपील पत्रावली के अभिलेख पर मौजूद है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 11–02–2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)) (जसमीत सिहं संधू) प्रथम अपील अधिकारी जिला कलक्टर लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा भीलवाड़ा	